13/10/22	पक्षकारान .... उपस्थित। सामान्य आदेश दिनांक 14.1.22 की पालना में पत्रा0 वास्ते प्रकरण दिनांक 10/3/23 को पेश हो। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
10/3/23	पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. ने कार्य स्थगित कर रखा है। P.O. ... पत्रावली दिनांक 24/3/23 को पेश हो।
24/3/23	पक्षकारान .... उपस्थित। सामान्य आदेश दिनांक 14.1.22 की पालना में पत्रा0 वास्ते प्रकरण दिनांक 13/7/23 को पेश हो। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
13/7/23	पक्षकारान उपस्थित पत्रावली पर बहस सुनी गई वास्ते आदेश दिनांक 21/7/23 को पेश हो। SDM
21/7/23	पक्षकारान उपस्थित अतः दावा वादी साबित होने के कारण दावा डिक्री किया जाता है निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सुनाया गया तदनुसार पर्चा डिक्री जारी होकर पत्रावली ... बाद तामिल ... दाखिल दफ्तर हो। SDM

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1/183/2015

वउनवान

1. लटूर पुत्र रेवडया जाति मीणा (मृतक)

1/1. रामचरण पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर

1/2 प्रकाश पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर

1/3 महेशचन्द पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर

1/4 मांगी पुत्री लटूर पत्नी रमेश जाति मीना

1/5 बत्तन पुत्री लटूर पत्नी कैलाश जाति मीना

निवासीयान पावटा हाल ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ जिला अलवर

2. तेजा पुत्र रेवडया जाति मीणा निवासी पावटा (मृतक)

2/1 हरीसिंह पुत्र तेजाराम जाति मीना निवासी पावटा

2/2. राजेश कुमार पुत्र तेजाराम जाति मीना निवासी पावटा

2/3. मुकेश पुत्र तेजाराम जाति मीना निवासी पावटा

2/4. चन्दो वेवा तेजाराम जाति मीना निवासी पावटा

2/5. नानगी पुत्री तेजाराम पत्नी कज्जू मीना निवासी पावटा हाल पृथ्वीपुरा

2/6. बिता पुत्री तेजाराम पत्नी रामकरन जाति मीना निवासी पावटा हाल निठारी तहसील मालाखेडा

3. सेडूसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर

------वादीगण

बनाम

1. पप्पू पुत्र सोहनलाल जाति मीना (मृतक)

1/1 काडू पुत्र पप्पू जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर

1/2 कन्हैया पुत्र पप्पू जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर

1/3 चेतराम पुत्र पप्पू जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर

1/4 राजू पुत्र पप्पू जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर

1/5 कन्ची पुत्र पप्पू पत्नी काडू जाति मीणा निवासी पावटा हाल गुण्डवास

1/6 केशर पुत्री पप्पू पत्नी धण्टी जाति मीणा निवासी पावटा हाल गुण्डवास

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

2. पप्पू पुत्र घीसा जाति कुम्हार निवासी पावटा
3. श्रीचन्द पुत्र घीसा जाति कुम्हार निवासी पावटा
4. चन्दीलाल पुत्र घीसा जाति कुम्हार निवासी पावटा
5. मांग्या पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी पावटा
6. रामस्वरूप पुत्र झबडू जाति कुम्हार निवासी पावटा
7. गिर्राज पुत्र झबडू जाति कुम्हार निवासी पावटा
8. रामजीलाल पुत्र झबडू जाति कुम्हार (मृतक)

8/1. बतूल पुत्री रामजीलाल पत्नी भोलाराम जाति कुम्हार निवासी मालाखेडा

8/2 गुडडी पुत्री रामजीलाल पत्नी रामचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ

8/3 लक्ष्मी पुत्री रामजीलाल पत्नी गोविन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ

8/4 हरवीर पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी पावटा

8/5 महावीर पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी पावटा

8/6 बलवीर पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी पावटा

तहसील कठूमर

9. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थितः—श्री सुभाषचन्द शर्मा एडवोकेट— वकील वादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक 21/08/23

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 235, 236, 238, 239, 367, 397 ग्राम पावटा तहसील कठूमर में स्थित है जिसके हाल वन्दोवस्त खसरा नम्बर 415 रकवा 18 विस्वा 416 रकवा 17 विस्वा 417 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा 418 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 420 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा में 1/2 हिस्सा खसरा नम्बर 421 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 136 रकवा 4 वीघा 2 विस्वा 102 रकवां 3 वीघा 11 विस्वा ग्राम पावटा तहसील कठूमर कायम हुये है। उपरोक्त विवादित आराजी पर वादीगण के वुजुर्गान एंव वादीगण अर्से दराज से यानि राजस्थान का तकारी अधिनियम लागू होने एंव वि वेदारी जागीरदारी उन्मूलन अधिनियम के समय से बदस्तूर काविज रहकर काश्त कर रहे है। वादी सं0 1 लटूर खसरा नम्बर 420 के 1/2 हिस्सा 416, 418, 421 के वहैसियत खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
21/8/23

चला आ रहा है तथा वादी सं0 2 तेजा खसरा नम्बर 102, 136 वाके पावटा पर वहैसियत खातेदार काविज चला आ रहा है वादी सं0 3 खसरा नम्बर 415, 417 वाके पावटा पर वहैसियत खातेदार काविज चला आ रहा है इसी अनुसार आज भी मौके पर वादीगण काविज है खसरा नम्बर 418 में वादी सं0 1 लटूर ने अपनी लागत से कुआ बनवाया है तथा वादी सं0 2 तेजा ने खसरा नम्बर 136 में अपनी लागत से कुआ बनवाया है। विवादित आराजी पहले सुलतानसिंह राजपूत की खातेदारी विश्वेदारी की आराजी थी। सुलतानसिंह का साविक रेकार्ड संवत् 2012 से संवत् 2016 व इससे पहले से इन्द्राज चला आ रहा है। सुलतानसिंह से आराजी मुतनाजा वादीगण के पितागण ने विक्रय पत्रों के जरिये खरीद किया था। वक्त खरीद से ही वादीगण काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है यानि एडवर्स पजेशन के आधार पर यानि कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। पूर्व में प्रतिवादीगण एंव प्रतिवादी सं0 6 ला0 8 के पिता झबडू ने न्यायालय सहायक जिलाधीश महोदय लक्ष्मणगढ के न्यायालय में दावा पेश किया था जो दावा निर्णीत होकर दिनांक 17.11.1975 को खारिज हो गया। जिस निर्णय से विक्षुब्ध होकर झबडू व मांग्या न न्यायालय राजस्व प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील पेश की थी जो अपील दिनांक 14.10.1976 को खारिज हो गयी। निर्णय दिनांक 14.10.1976 के खिलाफ माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील की थी जो अपील माननीय राजस्व मण्डल ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.1983 से खारिज फरमा दी गई तथा अधिनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश लक्ष्मणगढ व अपीलीय न्यायालयों द्वारा वादीगण का पुराना कब्जा मानते हुये दावा व अपील खारिज फरमा दी गई।

दौराने बन्दोबस्त प्रतिवादीगण व इनके वालिदों ने बन्दोवस्त विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों से साज बाज होकर पर्चा लगान अपने हक में जारी करा लिया जिस पर्चा को माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर ने महत्व नहीं दिया और अपने निर्णय में यह उल्लेख किया कि संवत् 2014 से कब्जे के सम्बन्ध में खसरा गिरदावरी सुलतानसिंह के पक्ष में है जमाबन्दी संवत् 2013 से 2016 में सुलतानसिंह को कृशक के खाने में गैर मौरूसी कृशक दर्ज किया हुआ है। आराजी मुतनाजा को वादीगण व उनके पिताओं ने अलग अलग विक्रय पत्रों से खरीद किया था। वादीगण वक्त खरीद से ही काविज़ रहकर काश्त करते चले आ रहे है अमला सैटलमेंण्ट ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विवादित आराजी को गलत रूप से प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज कर दिया। जबकि अमला सैटलमेंण्ट को पूर्व

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था। अमला सैटलमेंण्ट को पूर्व इन्द्राज बदलने का कोई हक व अधिकार किसी किस्म का नहीं था। गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादीगण वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है झगडा करते है व दीगर लोगों को रहन वय करने व कब्जा कराने की धमकी देते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का नाम कलमजन कराकर अपनी खातेदारी में दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व दावा वादीगण मुताविक अनुतोश डिक्री किये जाने का निवेदेन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। दिनांक 26.06.2006 को प्रतिवादी सं0 1 ने उपस्थित होकर ईकवाल जवाव पेश किया। दिनांक 28.06.2006 को प्रतिवादी सं0 2 ला0 5 व 7 बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये उनके विरूद्व एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 6, 8, 9 की ओर से बास्ते पैरवी मुकदमा वकालतनामा पेश हुआ। दिनांक 18.07.2008 को प्रतिवादी सं0 2, 3, 4, 5, 7 ने अपना जवाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी वादीगण के कब्जे, काश्त खातेदारी की आराजी नहीं है। ग्राम पावटा विश्वेदारी का गांव था तथा हरनाथसिंह राजपूत विश्वेदार थे। जब्ती विश्वेदारी प्रतिवादी सं0 12 ला0 14 के पिता 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 5 के पिता 1/4 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 6 ला0 8, 1/2 हिस्से पर काविज थे। जब्ती विश्वेदारी के समय प्रतिवादीगण के पिता घीसा, मनीराम व झबडू का कब्जा होने के कारण सही प्रकार से विवादित आराजी प्रतिवादीगण के पिता के नाम खातेदारी में दर्ज की गई थी। जब्ती वि वेदारी के समय 1/2 हिस्सा पर झबडूराम तथाा 1/4 हिस्से पर घीसा कुम्हार, 1/4 हिस्से पर मनीराम कुम्हार काविज थे। उनके मरने के वाद प्रतिवादीगण काविज चले आ रहे है सुलतानसिंह को वयनामा के जरिये विवादित आराजी को वय करने का अधिकार नहीं था। प्रतिवादी सं0 6 व 8 ने भी हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेश किया है जिसके तथ्य भी इसी प्रकार से है। प्रतिवादीगण ने जवाव दावा पेश कर वाद वादीगण खारिज किये जाने का निवेदेन किया है।

वहस वकुलाय सुनी गई। वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जवाव के आधार पर वाद में निम्न चार तनकियां कायम की गयी–

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

1. आया वादी संख्या 1 आराजी खसरा नम्बर 420 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा के 1/2 हिस्से खसरा नम्बर 416 रकवा 17 विस्वा 418 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 421 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा वादी सं0 2 खसरा नम्बर 102 रकवा 3 वीघा 11 विस्वा 136 रकवा 4 वीघा 2 विस्वा वादी सं0 3 खसरा नम्बर 415 रकवा 18 विस्वा 421 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा वाके ग्राम पावटा के काविज कृषक खातेदार है तथा खातेदारी प्राप्त करने के मुस्तहक है – वादीगण
2. आया वादीगण प्रतिवादीगण को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है –– वादीगण
3. आया विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 6 ला0 8 के पिता झबडूराम वक्त जब्ती विश्वेदारी कांविज थे उनके मरने के वाद विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा पर प्रतिवदी सं 6 ला0 8 का कब्जा है –– प्रतिवादीगण
4. दादरसी

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श–1 खसरा गिरदावरी संवत् 2058 से 2062, प्रदर्श 2 झबडू बनाम रेवडा दिनांक 21.03.1983 राजस्व मडल अजमेर, प्रदर्श–3 नकल फैसला झबडू बनाम रेवडा दिनांक 14.10.1976 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकरी अलवर प्रदर्श–4 नकल पर्चा डिकी प्रदर्श–5 नकल मिलान क्षैत्रफल प्रदर्श 6 मिसल बन्दोबस्त (दो पडत) प्रदर्श 7 नकल जमाबन्दी संवत् 2013 प्रदर्श 8 नकल जमाबन्दी सवत् 2019 प्रदर्श 9 (पडत दो) नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2020 से 2023, प्रदर्श 10 (4 पडत) नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2024 से 2027 प्रदर्श–11 (4 पडत) नकल खसरा गिरदावरी संवत 2028 से 2029 प्रदर्श 12 (4 पडत) किरनसिंह ने लल्लू को जो रसीद लिखी है लल्लू ने किरनसिंह को जो रसीद लिखी है उसकी फोटो प्रति ईकरारनामा जो किरनसिंह ने नत्थूसिंह के हक में लिखा है की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में गवाह PW1स्वंय वादी तेजा,PW2छज्जू,PW3 लटूर,PW4 सेडूसिंह के शपथ पत्र बतौर गवाह पेश किये है। जो संलग्न पत्रावली है।

दावा में कायम की गयी तनकियों का विन्दुवार निस्तारण निम्न प्रकार से किया जा रहा है –

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज.

तनकी संख्या–1 को सावित करने का भार वादीगण पर है।

अधिवक्ता वादीगण ने अपनी लिखित वहस पेश कर अपने दावा के तथ्यों को दोहराया व कथन किया कि तमाम सांविक रेवन्यु रेकार्ड गवाहान के वयानात से विवादित आराजी पर वादीगण की वुजुर्गानी खरीदशुदा व विवादित आराजी पर कब्जा सावित है। विवादित आराजी का वादीगण को हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोशित किया जाकर दावा वादीगण डिक्री किया जावे। प्रतिवादीगण की दिनांक 12.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही हो चूकि है प्रतिवादीगण के पिताओं ने विवादित आराजी वावत कब्जे वापिसी का दावा न्यायालय सहायक जिलाधीश लक्ष्मणगढ के न्यायालय में पेश किया था जो न्यायालय द्वारा दिनांक 17.11.1975 को खारिज किया गया। जिस निर्णय के विरूद्व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में पेश की गयी जो अपील दिनांक 14.10.1976 को खारिज की गयी जिस निर्णय के विरूद्व प्रतिवांदीगण के पिताओं ने अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में पेश की जो अपील माननीय राजस्व मण्डल द्वारा सारहीन होने के कारण दिनांक 21.03.1983 को खारिज फरमा दी गयी। जो वादीगण द्वारा प्रस्तुत विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों एंव डिक्री की सत्यप्रतिलिपीयों से प्रमाणित है इसके अलावा वादीगण ने विवादित आराजी वावत तमाम सांविक रेवन्यु रेकार्ड पेश किया है इसके अलावा वादीगण ने मौखिक वयान भी रेकार्ड कराये है सभी गवाहों ने विवादित आराजी पर वादीगण के कब्जे की पुश्टि की है। पत्रावली केतथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड गवाहान के वयानात आदि के अवलोकन व माननीय न्यायालयों के निर्णयों के अवलोकन से विवादित आराजी पर वादीगण का पुराना कब्जा सावित है। अतः वादीगण विवादित आराजी बावत खातेदारी घोशित कराने के अधिकारी है। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2 को सावित करने का भार वादीगण पर है। तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से यह सावित है कि विवादित आराजी पर वादीगण का पुराने समय से कब्जा पाया गया है व अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने के अधिकारी पाये गये है। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर अपने कब्जा व पुराने कब्जा को सावित करने के लिये कोई प्रमाणित दस्तावेंज व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं कीहै। अतः वादीगण प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः यह तनकी वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

तनकी सं0 3 को सावित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा पर प्रतिवादी सं0 6 ला0 8 के पिता झबडूराम वक्त जब्ती वि वेदारी काविज थे उनके मरने के वाद विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी सं0 6 ला0 8 का कब्जा हो इन तथ्यों को सावित करने के लिये प्रतिवादीगण ने अपनी ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया है। बल्कि प्रतिवादीगण कें पिताओं द्वारा न्यायालय में पेश किया गया कब्जा वापिसी का दावा व अपीलें खारिज की है। इससे सावित है कि विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त नहीं है बल्कि तनकी संख्या1–2 के विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी पर वादीगण के पिताओं व वादीगण का कब्जा सावित है व विवादित आराजी वावत खातेदारी की घोशणा कराने के अधिकारी पाये गये है। अतः इस तनकी को प्रतिवादीगण सावित नहीं कर पाये इस वजह से यह तनकी विरूद्व प्रतिवादीगण वहक वादीगण निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4 दीगर दादरसी की है चूँकि तनकी संख्या 1 ला0 3 वहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण निर्णीत की गयी है। अतः प्रतिवादीगण विवादित आराजी में किसी तरह की दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत साविक एंव हाल राजस्व रेकार्ड गवाहान के वयान संलग्न निर्णय एंव डिक्रियों के अवलोकन व विद्वान अधिवक्ता वादी की वहस पर मनन करने पर वाद वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वाद वादीगण वावत घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से दावा डिक्री किया जाकर वादी सं0 1/1 ला0 1/5 आराजी खसरा नम्बर 420 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा के 1/2 हिस्सा का खसरा नम्बर 416 रकवा 17 विस्वा 418 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 421 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा वाके ग्राम पावटा का वादी सं0 2/1 ला0 2/6 को आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 3 वीघा 11 विस्वा 136 रकवा 4 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पावटा का व वादी सं0 3 को आराजी खसरा नम्बर 415रकवा 18 विस्वा 417 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम पावटा का खातेदार का तकार घोशित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1/1 ला0 1/6 तथा प्रतिवादी सं0 2 ला0 7 व प्रतिवादी सं0 8/1 ला0 8/6 के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है।प्रतिवादीगण को डिक्री

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे का त में बाधा पैदा ना करें। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार वादीगण के नाम सं ोधित इन्द्राज दर्ज करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

आज दिनांक 21/07/23 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिंह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

कार्यालयन्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्ववाद संख्या 1/183/2015

वउनवान

1. लटूर पुत्र रेवडया जाति मीणा (मृतक)
1/1. रामचरण पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर
1/2 प्रकाश पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर
1/3 महेशचन्द पुत्र लटूर जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर
1/4 मांगी पुत्री लटूर पत्नी रमेश जाति मीना
1/5 बत्तन पुत्री लटूर पत्नी कैलाश जाति मीनां
निवासीयान पावटा हाल ग्राम जुगरावर तहसील रामगढ जिला अलवर
2. तेजा पुत्र रेवडया जाति मीणा निवासी पावटा (मृतक)
2/1 हरीसिंह पुत्र तेजाराम जाति मीना निवासी पावटा
2/2. राजेश कुमार पुत्र तेजाराम जाति मीना निवासी पावटा
2/3. मुकेश पुत्र तेजाराम जाति मीना निवासी पावटा
2/4. चन्दो वेवा तेजाराम जाति मीना निवासी पावटा
2/5. नानगी पुत्री तेजाराम पत्नी कज्जू मीना निवासी पावटा हाल पृथ्वीपुरा
2/6. बिता पुत्री तेजाराम पत्नी रामकरन जाति मीना निवासी पावटा हाल
निठारी तहसील मालाखेडा
3. सेडूसिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति मीणा निवासी पावटा तेहसील कठूमर

------वादीगण

बनाम

1. पप्पू पुत्र सोहनलाल जाति मीना (मृतक)
1/1 काडू पुत्र पप्पू जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर
1/2 कन्हैया पुत्र पप्पू जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर
1/3 चेतराम पुत्र पप्पू जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर
1/4 राजू पुत्र पप्पू जाति मीणा निवासी पावटा तहसील कठूमर
1/5 कन्ची पुत्र पप्पू पत्नी काडू जाति मीणा निवासी पावटा हाल गुण्डवास
1/6 केशर पुत्री पप्पू पत्नी घण्टी जाति मीणा निवासी पावटा हाल गुण्डवास
2. पप्पू पुत्र घीसा जाति कुम्हार निवासी पावटा
3. श्रीचन्द पुत्र घीसा जाति कुम्हार निवासी पावटा

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

4. चन्दीलाल पुत्र घीसा जाति कुम्हार निवासी पावटा
5. मांग्या पुत्र मनीराम जाति कुम्हार निवासी पावटा
6. रामस्वरूप पुत्र झबडू जाति कुम्हार निवासी पावटा
7. गिर्राज पुत्र झबडू जाति कुम्हार निवासी पावटा
8. रामजीलाल पुत्र झबडू जाति कुम्हार (मृतक)

8/1. बतूल पुत्री रामजीलाल पत्नी भोलाराम जाति कुम्हार निवासी मालाखेडा

8/2 गुडडी पुत्री रामजीलाल पत्नी रामचन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ

8/3 लक्ष्मी पुत्री रामजीलाल पत्नी गोविन्द जाति कुम्हार निवासी रामगढ

8/4 हरवीर पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी पावटा

8/5 महावीर पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी पावटा

8/6 बलवीर पुत्र रामजीलाल जाति कुम्हार निवासी पावटा तहसील कठूमर

9. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

प्रतिवादीगण

दावाइस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः वाद वादीगण वावत घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी सावित होने से दावा डिकी किया जाकर वादी सं0 1/1 ला0 1/5 आराजी खसरा नम्बर 420 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा के 1/2 हिस्सा का खसरा नम्बर 416 रकवा 17 विस्वा 418 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा 421 रकवा 1 वीघा 13 विस्वा वाके ग्राम पावटा का वादी सं0 2/1 ला0 2/6 को आराजी खसरा नम्बर 102 रकवा 3 वीघा 11 विस्वा 136 रकवा 4 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पावटा का व वादी सं0 3 को आराजी खसरा नम्बर 415 रकवा 18 विस्वा 417 रकवा 1 वीघा 11 विस्वा वाके ग्राम पावंटा का खातेदार का तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रतिवादी सं0 1/1 ला0 1/6 तथा प्रतिवादी सं0 2 ला0 7 व प्रतिवादी सं0 8/1 ला0 8/6 के इन्द्राज को कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा ना करें। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो राजस्व रेकार्ड में उक्तानुसार वादीगण के नाम संशोधित इन्द्राज दर्ज करे।

आज दिनांक 21/01/23 को यह पर्चा डिकी मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

लाखनसिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०